UPUN010028952026

Bail Application/1226/2026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस0सी0,एस0टी0ऐक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–2, उन्नाव

1. सूरज पुत्र सन्तू
2. सुनीता पत्नी सूरज
निवासीगण ग्राम खैरी थाना सफीपुर जिला उन्नाव।

.....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डी.जी.सी. क्रिमिनल महोदय उन्नाव।
2. श्रीमती रानी पत्नी रामबहादुर निवासी सिलौलीगढ़ी थाना कोतवाली जिला उन्नाव।

.....विपक्षीगण

मु.अ.सं.- 237/2026
धारा-352, 115(2), 117(2), 351(3) बी.एन.एस.
धारा- 3(1)द ध एस.सी.एस.टी.एक्ट
थाना कोतवाली, जिला उन्नाव।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र

दिनांक- 09.07.2026

यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण सूरज व सुनीता की ओर से मु.अ.सं.- 237/2026, धारा-352, 115(2), 117(2), 351(3) बी.एन.एस., धारा- 3(1)द ध एस.सी.एस.टी.एक्ट, थाना कोतवाली जिला उन्नाव में प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्तगण के द्वारा दाखिल शपथ-पत्र में इस तथ्य का उल्लेख किया कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र है इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना-पत्र किसी न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय में न प्रस्तुत किया गया न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिनी के पति को उभय पक्षकारो द्वारा जाति सूचक गन्दी गन्दी गालिया देते हुये जान से मारने की धमकी देने लगें। घटना दिनांक 13.04:26 को रात्रि के 8 बजे प्रार्थिनी कुर्मिन खेडा के थोडा आगे पीपल के पास पहुंचे वैसे ही सूरज व सुनीता प्रार्थिनी के पति को रोककर जाति सूचक गाली गलौज करने लगे। और प्रार्थिनी के पति को लाठी डण्डो मारने पीटने लगे। जिससे प्रार्थिनी के पति का बाया पैर फैकचर हो गया और आँख व शरीर में गम्भीर चोटे आयी है इसके बाद प्रार्थिनी के पति को छोड की जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आधार जमानत में कथन किया है कि प्रार्थीगण निर्दोष है महज रजिशन झूठा मुकदमे में फॅसाया गया है। कथित घटना अत्यन्त मनगंढत व बनावटी है जिससे प्रार्थी का कोई वास्ता सरोकार नही है। प्रार्थीगण ने वादिनी मुकदमा के पति के साथ ना तो कोई मार पीट की है और ना ही गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी है। वादी मुकदमा ने फर्जी तथ्यो के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र दिया है। वादिनी की प्रार्थिनी सुनीता की सगी मौसी है। प्रार्थिनी ने एक वाहन स्कार्पियो अपने पिता के नाम खरीदी थी जिस कारण प्रार्थिनी को उक्त वाहन को वादिनी के पति जबरजस्ती अपने पास रख कर उपयोग कर रहे है। प्रार्थिनी ने जब अपना उक्त वाहन माँगा तो वादिनी मुकदमा ने मना कर दिया जिसके कारण प्रार्थिनी ने कई प्रार्थना पत्र अधिकारियो को दिये किन्तु कोई सुनवाई नही हुयी। वादिनी मुकदमा को उक्त वाहन वापस ना करना पडे इस कारण प्रार्थीगण के विरूद्व

फर्जी तथ्यो के आधार पर मुकदमा कायम किया है। जबकि वास्तविक घटना यह है कि वादिनी मुकदमा के पति का ऐक्सीटेंड हो गया था जिसके कारण चोटे आयी है कि उक्त चोटो के आधार पर प्रार्थीगण के विरूद्ध रंजिशन के कारण वादी मुकदमा से मिलकर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है। प्रार्थी / अभियुक्त को उपरोक्त वाद में झूठा फसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का काई अपराधिक इतिहास नहीं है और कभी का सजायाफ्ता नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के उपरोक्त वाद में विश्वसनीय एवं स्थानीय जमानतें देने को तैयार है। जमानत का कभी दुर्पयोग नहीं करेगा। जमानत पर छूटने के वाद गवाहों को डराये धमकायेगा नहीं। प्रार्थी की ओर से कोई भी प्रार्थना पत्र जमानत माननीय उच्च न्यायालय में नही दिया गया है। और न ही विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि दौरान मुकदमा प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने की कृपा करे ।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र का घोर विरोध करते हुये कथन किया गया कि अभियुक्तगण के द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना-पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

वादिनी पर नोटिस तामील है। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है जमानत खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। यद्यपि अभियुक्तगण दिनांक 05.05.2026.2026 से अंतरिम जमानत पर हैं तथा दौरान अंतरिम जमानत इनके द्वारा जमानत का दुरूपयोग किये जाने का कोई तथ्य न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया है। अतः मामलें के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण सूरज व सुनीता की ओर से मु.अ.सं.- 237/2026, धारा-352, 115(2), 117(2), 351(3) बी.एन.एस., धारा- 3(1)द ध एस.सी.एस.टी.एक्ट, थाना कोतवाली जिला उन्नाव जिला उन्नाव में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अभियुक्ता द्वारा 20,000/- (बीस हजार रूपये) का स्वबंध पत्र एवं इसी समान धनराशि की दो प्रतिभू न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

दि. 09.07.2026

विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी. ऐक्ट)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-2
उन्नाव।